संख्या-121/2024/2570/तीस-3-2024

प्रेषक,

नितिन कुमार गुप्त,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45(जी)प्रावि0/2024-83प्रावि0/2019, दिनांक 26 जुलाई, 2024 एवं पत्र संख्या-59(जी)प्रावि0/2024-83प्रावि0/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीएलटीडी योजना के क्रियान्वयन हेतु Implementation Agency के रूप में एनआईसी/निक्सी द्वारा कार्य करने की कुल प्रोजेक्ट राशि रू0 7.52 करोड़ में से 40 प्रतिशत की धनराशि रु० **3,00,00,000/-** (रूपया तीन करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आपका होगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकार कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित करायेंगे।

(4) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

(5) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक- 3055- सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-08-व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग योजना का संचालन-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-9-205-दस-2024-25, दिनांक 14 नवम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

संख्या-121/2024/2570(1)/तीस-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।